अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, (1993) 4 एससीसी 288 में भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जे. शेट्टी की अध्यक्षता में गठित प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) ने अधीनस्थ न्यायालयों के गैर-न्यायिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार पर, अधीनस्थ न्यायालयों के गैर-न्यायिक कर्मचारियों के लिए समान सेवा शर्तों और वेतनमानों की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा स्वीकृत शेट्टी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के गैर-न्यायिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए समान और व्यापक नियमावली बनाने हेतु सिफारिशें की हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 1060/VII-न्याय-2-2013-176जी/2010, दिनांक 04 जुलाई, 2013 के निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का आदेश देते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(i) इन नियमों को **'उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013'** कहा जा सकता है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) “नियुक्ति प्राधिकारी” से तात्पर्य जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से है;

(2) “समकक्ष अर्हता” से तात्पर्य किसी भी श्रेणी के पद के संबंध में इन नियमों में विहित अर्हता के समकक्ष उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित अर्हता से है;

(3) “सरकार” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(4) “उच्च न्यायालय” से तात्पर्य इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय से है;

(5) “राजपत्र” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के गजट से है;

(6) “चयन प्राधिकारी” से तात्पर्य है, -

(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश - अध्यक्ष

(ख) वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सदस्य

(ग) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) - सदस्य

परन्तु यह कि मुख्य न्यायमूर्ति उपरोक्त के अलावा "चयन प्राधिकारी" में एक या अधिक सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

(7) “अनुसूची” से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(8) “सेवा” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा से है;

(9) “राज्य” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(10) “संविधान” से तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(11) “विभागीय जांच” से तात्पर्य इन नियमों के नियम 23 के अधीन संचालित जांच से है;

(12) “अनुशासनिक प्राधिकारी” से तात्पर्य नियम 23 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(13) “राज्यपाल” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(14) “सेवा का सदस्य” से तात्पर्य 'उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013' के अधीन प्रावधानित पद पर नियुक्त व्यक्ति से है;

(15) “भर्ती वर्ष” से तात्पर्य 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि के दौरान प्रारंभ होने वाले वर्ष से है;

(16) इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'कदाचार' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 3 में परिभाषित है।

अध्याय-II

सेवा का गठन

3. सेवा का गठन-

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से **'उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा'** के नाम से एक राज्य सिविल सेवा का गठन किया जाएगा।

(2) सेवा में अनुसूची 'क' के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पदों की श्रेणी या संवर्ग सम्मिलित होंगे। इनमें से प्रत्येक संवर्ग में पदों का स्वरूप और संख्या तथा उनके वेतनमान वही होंगे जो उसके स्तंभ (3) से (6) की संबंधित प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से, मौजूदा पदों की श्रेणियों को अनुसूची 'ख' के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पद की श्रेणी के रूप में माना जाएगा।

अध्याय- III

भर्ती

4. भर्ती की पद्धति, अर्हताएँ आदि - अनुसूची 'ख' के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के प्रत्येक श्रेणी के पदों के संबंध में, भर्ती की पद्धति और न्यूनतम अर्हता वही होगी जो उसके स्तंभ (3) और (4) की संबंधित प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया -

इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर भर्ती चयन प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।-

(1) सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में, उस जिले में व्यापक प्रसार वाले राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार पत्रों, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में [1][और रोजगार समाचार तथा अन्य समान प्रकाशनों में और उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी व्यापक प्रचार देने के बाद, इसके अतिरिक्त स्थानीय सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे जा सकते हैं। विज्ञापन में अन्य आवश्यक विवरणों के अलावा स्पष्ट रूप से चयन और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या, ऐसे पदों के लिए अर्हताएँ और अन्य पात्रता मानदंड तथा उन नियमों का उल्लेख किया जाएगा जिनके अंतर्गत चयन और भर्ती की जानी है।]

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, चयन प्राधिकारी द्वारा अनुसूची 'ख' में निर्धारित मानदंडों के आधार पर, पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों में से की जाएगी।

6. नियुक्ति के लिए निरर्हता -

(1) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो।

(2) कोई भी पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो और कोई भी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही दूसरी पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें।

(3) कोई भी व्यक्ति जो अपनी अभ्यर्थिता के लिए आधिकारिक या गैर-आधिकारिक माध्यमों से किसी भी प्रकार का बाहरी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह -

(क) किसी ऐसे निकाय या संघ का सदस्य है या रहा है, अथवा उससे जुड़ा रहा है, जिसे विधिविरूद्घ निकाय या संघ घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी ऐसी गतिविधि या कार्यक्रम में भाग लिया है या उससे जुड़ा है-

(I) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विध्वंश करना हो;

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2017/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा अंतःस्थापित।

(II) जिसका उद्देश्य हिंसा से जुड़े कानून का संगठित उल्लंघन या अवमानना करना हो;

(III) जो भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल हो; या

(iv) जो धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर जनता के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देता हो; या

(ग) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी उच्च न्यायालय के अधीन सेवा से बर्खास्त किया गया हो;

(घ) संघ या किसी राज्य लोक सेवा आयोग या किसी उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या चयन में सम्मिलित होने से वर्जित या निरर्हित किया गया है या रहा है; और

(ङ) नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या रहा है।

7. नियुक्ति के लिए आयु सीमा -

(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को भर्ती वर्ष के प्रथम दिन अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और चालीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी पर लागू अधिकतम आयु सीमा, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस संबंध में जारी शासनादेशों के अनुसार होगी।

8. नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान:-

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य श्रेणियों के सदस्यों के लिए नियुक्तियां उस सीमा तक और उस रीति से आरक्षित होंगी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

[[1](2) आरक्षण के नियमों की प्रयोज्यता के लिए प्रत्येक जनपद न्यायालय को एक इकाई माना जाएगा।]

9. सीधी भर्ती:-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में चयन प्राधिकारी को विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए मौजूदा और भर्ती वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या सूचित करेगा। चयन प्राधिकारी भर्ती के लिए अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या और विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या दर्शाते हुए व्यापक प्रचार करके आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) चयन प्राधिकारी, अनुसूची 'ख' में दी गई अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर या प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के पच्चीस गुना के बराबर लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है।

(3) इन नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी और चयन प्राधिकारी, परीक्षा के संचालन और चयन के संबंध में, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे।

10. साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता-

(1) साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजन हेतु, नियुक्ति प्राधिकारी लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों के नामों की एक सूची तैयार करेगा और यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में समान कुल अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में वरीयता क्रम उनकी आयु के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आयु में बड़े व्यक्ति या व्यक्तियों को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। ऐसी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से, जहाँ तक संभव हो, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के पांच गुना के बराबर अभ्यर्थी, जो वरीयता क्रम में चुने गए हों, साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे:

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा अंतःस्थापित।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

'लिखित परीक्षा' से तात्पर्य अनुसूची 'ग' में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार चयन प्राधिकारी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से है।

11. साक्षात्कार-

चयन प्राधिकारी नियम 10 के अधीन चयनित पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करेगा। ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित संवर्ग या पद पर नियुक्ति हेतु उनकी उपयुक्तता और उनकी बौद्धिक तथा व्यक्तित्व के सामाजिक गुणों सहित उनकी क्षमता का आकलन करना है।

12. चयनित अभ्यर्थियों की सूची-

(1) चयन प्राधिकारी, नियम 10 के अधीन निर्धारित लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत और नियम 11 के अधीन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और [1][अन्य] के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित लागू आदेशों को ध्यान में रखते हुए, पद की श्रेणी में नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची वरीयता क्रम में तैयार करेगा और यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा नियम 10 के अधीन निर्धारित लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत और नियम 11 के अधीन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग समान है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में वरीयता क्रम उनकी आयु के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आयु में बड़े व्यक्ति या व्यक्तियों को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। ऐसी सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों की संख्या भर्ती के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी।

(2) चयन प्राधिकारी उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार उन अभ्यर्थियों के नामों की एक अतिरिक्त सूची भी तैयार करेगा जो उप-नियम (1) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या की दस प्रतिशत होगी।

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/VII-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा संशोधित।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूचियों को उसी दिन जिस दिन साक्षात्कार आयोजित किया गया है या अगले कार्य दिवस पर जनपद न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा किया जाएगा और उसकी एक प्रति उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी।

13. अभ्यर्थियों की नियुक्ति-

(1) नियम 15 और 16 के अधीन रहते हुए, जिन अभ्यर्थियों के नाम नियम 12 के उप-नियम (1) के अधीन तैयार और उप-नियम (3) के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी जांच के बाद जिसे आवश्यक समझा जाए, यह संतुष्टि कर लेने के पश्चात कि ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी संवर्ग के पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, विशिष्ट संवर्ग की रिक्तियों पर उसी क्रम में नियुक्त किया जा सकता है जिस क्रम में उनके नाम सूची में हैं। जिन अभ्यर्थियों के नाम नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन तैयार और उप-नियम (3) के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें नियम 12 के उप-नियम (1) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात इसी प्रकार नियुक्त किया जा सकता है।

(2) नियम 12 के अधीन प्रकाशित किसी भी सूची में अभ्यर्थी के नाम का सम्मिलित होना, नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

14. सूचियों के प्रचालन की अवधि-

किसी भी संवर्ग के संबंध में नियम 12 के अधीन चयन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित अभ्यर्थियों के नामों की सूची, विज्ञापित अंतिम रिक्ति पर नियुक्ति होने पर या एक वर्ष के पश्चात, जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगी।

15. उपयुक्तता और चरित्र प्रमाण-पत्रों से संबंधित शर्तें-

किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का इससे संतुष्ट न हो जाए कि वह अच्छे चरित्र का है और सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। सीधी भर्ती के लिए चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी, अंतिम बार शिक्षा प्राप्त किए गए शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्रों के अलावा, दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो उसके स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से संबंधित न हों और उससे संबंधित न हों, जो चयन की तिथि से छह माह से

अधिक पुराने न हों और उसके चरित्र की पुष्टि करते हों। यदि नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

16. शारीरिक स्वस्थता से संबंधित शर्तें-

(1) नियुक्ति के लिए चयनित किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नियुक्ति प्राधिकारी को यह संतुष्ट न कर दे कि वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है जिन्हें करने के लिए उसे बुलाया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी, आदेश द्वारा, नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति द्वारा संतुष्ट किए जाने वाले आवश्यक शारीरिक मानक निर्धारित कर सकता है और उस चिकित्सा प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट कर सकता है जो शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है और ऐसे अन्य आनुषंगिक मामलों का प्रावधान कर सकता है जो आवश्यक हों। अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थता या अस्वस्थता के संबंध में चिकित्सा प्राधिकारी की राय अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगी।

(2) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी, जो उप-नियम (1) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उसे ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी दूसरे अवसर पर भी चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा और वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहेगा।

17. शुल्क -

किसी भी श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके आवेदनों के संबंध में ऐसे शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा की जा सकती है, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के मामले में देय शुल्क इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क का आधा होगा।

18. नियुक्ति के लिए कार्यभार ग्रहण करने का समय-

(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति[1] आदेश की तिथि के पश्चात यथाशीघ्र, लेकिन उस तिथि से तीस दिनों[2] के बाद नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पद का कार्यभार ग्रहण करेगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए 'नियुक्ति आदेश की तिथि' का अर्थ अभ्यर्थी द्वारा दिए गए पते पर पंजीकृत डाक द्वारा नियुक्ति आदेश भेजने की तिथि है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थी के आवेदन पर और यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो लिखित आदेश द्वारा ऐसा अतिरिक्त समय दे सकता है जो वह आवश्यक समझे, लेकिन यह पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगा।

(3) जो अभ्यर्थी उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उप-नियम (2) के अधीन दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहेगा।

अध्याय-IV

परिवीक्षा

19. परिवीक्षा-

(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में सभी नियुक्तियाँ दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगी।

(2) पदोन्नति द्वारा की गई सभी नियुक्तियाँ दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा आधार पर होंगी।

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा अंतःस्थापित।

[2] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा संशोधित।

(3) लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकता है जो उप-नियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(4) परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त या पदोन्नत व्यक्ति की उस पद को धारण करने की उपयुक्तता पर विचार करेगा जिस पर उसे नियुक्त या पदोन्नत किया गया था, और-

(i) यदि यह निर्णय लिया जाता है कि वह उस पद को धारण करने के लिए उपयुक्त है जिस पर उसे नियुक्त या पदोन्नत किया गया था और उसने ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण, यदि कोई हों, उत्तीर्ण कर लिए हैं जिन्हें परिवीक्षा की अवधि के दौरान उत्तीर्ण करना आवश्यक था, तो वह यथाशीघ्र एक आदेश जारी करेगा जिसमें उसे संतोषजनक रूप से परिवीक्षा की अवधि पूरी करने वाला घोषित किया जाएगा और ऐसा आदेश, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि, विस्तारित अवधि सहित, यदि कोई हो, की समाप्ति की तिथि से प्रभावी होगा।

(ii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह मानता है कि वह व्यक्ति उस पद को धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है जिस पर उसे, यथास्थिति, नियुक्त या पदोन्नत किया गया था, तो वह आदेश द्वारा-

(क) यदि वह पदोन्नत व्यक्ति है, तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर देगा जो वह अपनी पदोन्नति से पूर्व धारण किए हुए था।

(ख) यदि वह परिवीक्षाधीन है, तो उसे सेवा से अवमुक्त कर देगा;

(5) किसी व्यक्ति को तब तक संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने वाला नहीं माना जाएगा जब तक कि उस आशय का कोई विशिष्ट आदेश पारित न हो जाए। ऐसा आदेश पारित करने में किसी भी देरी के कारण संबंधित व्यक्ति यह दावा करने का हकदार नहीं होगा कि उसे संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने वाला मान लिया जाए।

20. परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन की अवमुक्ति:-

(1) नियम 19 में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी परिवीक्षाधीन को सेवा के लिए उसकी अनुपयुक्तता के कारण सेवा से अवमुक्त कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आदेश में सेवामुक्ति के आधारों का उल्लेख होगा, लेकिन इसके लिए कोई अनुशासनिक जांच आवश्यक नहीं होगी।

21. परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन वृद्धि:-

(1) एक परिवीक्षाधीन या पदोन्नत व्यक्ति परिवीक्षा अवधि के दौरान देय होने वाली वेतन वृद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। हालांकि, वह परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद तब तक कोई वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि उसे संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा पूर्ण करने वाला घोषित न कर दिया जाए।

(2) जब किसी परिवीक्षाधीन या पदोन्नत व्यक्ति को संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा पूर्ण करने वाला घोषित कर दिया जाता है, तो वह उस तिथि से, जब से ऐसा आदेश प्रभावी होता है, वह वेतन प्राप्त करेगा जो उसे तब प्राप्त होता यदि उसे परिवीक्षा पर नियुक्ति की तिथि से उसकी पूरी सेवा के लिए वेतन वृद्धि की अनुमति दी गई होती।

अध्याय - V

वरिष्ठता का निर्धारण

22. वरिष्ठता

(1) जहाँ नियुक्तियाँ केवल सीधी भर्ती द्वारा हों:- जहाँ नियमों के अनुसार नियुक्तियाँ केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों, किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो तैयार की गई वरीयता सूची में दिखाई गई है:

परन्तु यह कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी अपनी वरिष्ठता खो सकता है, यदि वह रिक्ति का प्रस्ताव दिए जाने पर बिना किसी वैध कारण के कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। कारणों की वैधता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु यह भी कि बाद के चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्ति, पिछले चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

स्पष्टीकरण- जहाँ एक ही वर्ष में नियमित और आपातकालीन भर्ती के लिए अलग-अलग चयन किए जाते हैं, वहाँ नियमित भर्ती के लिए किए गए चयन को पिछला चयन माना जाएगा।

(2) जहाँ नियुक्तियाँ केवल एकल फीडिंग संवर्ग से पदोन्नति द्वारा हों:- जहाँ सेवा नियमों के अनुसार, नियुक्तियाँ केवल एक ही फीडिंग संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो फीडिंग संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण- फीडिंग संवर्ग में वरिष्ठ व्यक्ति, अपने से कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति के बाद पदोन्नत होने के बावजूद, उस संवर्ग में जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया है, अपनी वही वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो फीडिंग संवर्ग में थी।

(3) जहाँ नियुक्तियाँ केवल कई फीडिंग संवर्गों से पदोन्नति द्वारा हों:- जहाँ सेवा नियमों के अनुसार, नियुक्तियाँ केवल पदोन्नति द्वारा लेकिन एक से अधिक फीडिंग संवर्गों से की जानी हों, वहाँ किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता उनके संबंधित फीडिंग संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण- जहाँ फीडिंग संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में किसी विशेष पिछली तिथि का उल्लेख हो, जिससे किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्त किया गया है, तो वह तिथि मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि मानी जाएगी और अन्य मामलों में इसका अर्थ आदेश जारी होने की तिथि होगा:

परन्तु यह कि जहाँ फीडिंग संवर्गों के वेतनमान अलग-अलग हों, वहाँ उच्चतर वेतनमान वाले फीडिंग संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति, निम्नतर वेतनमान वाले फीडिंग संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे:

परन्तु यह भी कि बाद के चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्ति, पिछले चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्ति से कनिष्ठ होगा।

(4) वरिष्ठता जहाँ [1][नियुक्तियाँ] पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा की गई हों- (i) जहाँ सेवा नियमों के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों माध्यमों से की जाती हैं, वहाँ

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा संशोधित।

नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, उप-नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उनकी मौलिक नियुक्तियों के आदेश की तिथि से निर्धारित की जाएगी, और यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते हैं, तो उसी क्रम में की जाएगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेशों में व्यवस्थित हैं:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में किसी विशेष पिछली तिथि का उल्लेख हो, जिससे किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्त किया गया है, तो वह तिथि मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि [2][मानी] जाएगी और अन्य मामलों में इसका अर्थ आदेश जारी होने की तिथि होगा:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी अपनी वरिष्ठता खो सकता है, यदि वह रिक्ति का प्रस्ताव दिए जाने पर बिना किसी वैध कारण के कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है और कारणों की वैधता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता-

(क) सीधी भर्ती के माध्यम से, वही होगी जो तैयार की गई वरीयता सूची में दिखाई गई है:

(ख) पदोन्नति द्वारा, यथास्थिति, नियम 22 (2) या नियम 22 (3) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिस अनुसार पदोन्नति एकल फीडिंग संवर्ग या कई फीडिंग संवर्गों से की जानी हो।

(iii) जहाँ किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ सीधी भर्ती वालों की तुलना में पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता चक्रानुक्रम में (पहला पदोन्नत व्यक्ति होगा) निर्धारित की जाएगी, जहाँ तक संभव हो दोनों स्रोतों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार की जाएगी।

दृष्टांत- जहाँ पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वालों का कोटा 1:4 के अनुपात में है, वहाँ वरिष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी:-

---

[2] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा अंतःस्थापित।

प्रथम ---------- पदोन्नत व्यक्ति

द्वितीय से पंचम ---------- सीधी भर्ती वाले।

और इसी क्रम में आगे :

परन्तु यह कि-

(क) जहाँ किसी भी स्रोत से निर्धारित कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त किए गए व्यक्तियों को वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ, उस आगामी वर्ष या वर्षों में नीचे खिसका दिया जाएगा, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ उपलब्ध हों:

(ख) जहाँ किसी भी स्रोत से नियुक्तियाँ निर्धारित कोटे से कम होती हैं और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियाँ बाद के वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पिछले वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उन्हें उसी वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त होगी जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं, ताकि उनका नाम सबसे ऊपर रखा जाए और उसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में हों।

(ग) जहाँ सेवा नियमों के अनुसार किसी भी स्रोत से न भरी गई रिक्तियों को, संबंधित सेवा नियमों में उल्लिखित परिस्थितियों में, अन्य स्रोत से भरा जा सकता है और कोटे से अधिक ऐसी नियुक्तियाँ की जाती हैं, तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त होगी जैसे कि वे अपने कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किए गए हों।

(5) वरिष्ठता सूची तैयार करना:– (i) सेवा में नियुक्तियाँ होने के पश्चात यथाशीघ्र, नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की एक अनंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करेगा।

(ii) अनंतिम वरिष्ठता सूची को संबंधित व्यक्तियों के बीच आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु परिचालित किया जाएगा, जिसके लिए उचित अवधि का नोटिस दिया जाएगा, जो अनंतिम वरिष्ठता सूची के परिचालन की तिथि से 7 दिनों से कम नहीं होगा।

(iii) इन नियमों की शक्ति या वैधता के विरुद्ध कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

(iv) नियुक्ति प्राधिकारी एक सकारण आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात, एक अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करेगा।

(v) उस संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा जिसमें नियुक्तियाँ केवल एकल फीडिंग संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाती हैं।

(6) प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में, एक जिले के सभी संवर्गों के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार और प्रकाशित की जाएगी और इस प्रकार प्रकाशित सूचियों का उपयोग जिले में अगले उच्चतर संवर्ग में पदोन्नति करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

अध्याय - VI

अनुशासन और अपील

23(1) शास्तियाँ-

अच्छे और पर्याप्त कारणों के आधार पर सेवा के किसी सदस्य पर निम्नलिखित में से एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित की जा सकती हैं, अर्थात्;

लघु शास्तियाँ

(i) परिनिंदा;

(ii) एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना;

(iii) दक्षता रोक को रोकना;

(iv) लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार या उच्च न्यायालय को हुई किसी भी आर्थिक क्षति की पूर्ण या आंशिक वसूली वेतन से करना;

(v) श्रेणी 'घ' पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना:

परन्तु यह कि ऐसे जुर्माने की राशि किसी भी स्थिति में उस महीने के वेतन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिसमें जुर्माना लगाया गया है।

वृहद शास्तियाँ

(i) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धियाँ रोकना;

(ii) निम्नतर पद या ग्रेड या समयमान या समयमान के निचले स्तर पर अवनति;

(iii) सेवा से हटाया जाना, जो भविष्य के नियोजन के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है;

(iv) सेवा से बर्खास्तगी, जो भविष्य के नियोजन के लिए अयोग्य ठहराती है।

स्पष्टीकरण- निम्नलिखित को इस नियम के अर्थ के भीतर शास्ति नहीं माना जाएगा, अर्थात्;

(i) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने या सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने के कारण सेवा के किसी सदस्य की वेतन वृद्धि रोकना;

(ii) दक्षता रोक को पार करने के लिए उपयुक्त न पाए जाने के कारण वेतन के समयमान में दक्षता रोक को रोकना;

(iii) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में, नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार सेवा से प्रत्यावर्तित करना;

(iv) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा को परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में, सेवा की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार समाप्त करना।

(2) निलंबन-

(i) सेवा का ऐसा सदस्य जिसके आचरण के विरुद्ध जांच विचाराधीन है या चल रही है, उसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच के निष्कर्ष लंबित रहने तक निलंबन के अधीन रखा जा सकता है;

परन्तु यह कि निलंबन का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि कर्मचारी के विरुद्ध आरोप इतने गंभीर न हों कि उनके सिद्ध होने की स्थिति में, सामान्यतः वृहद शास्ति की आवश्यकता हो;

परन्तु यह भी कि विभाग का प्रमुख इस संबंध में एक आदेश द्वारा किसी कर्मचारी को इस नियम के तहत निलंबन के अधीन रख सकता है;

परन्तु यह भी कि नियुक्ति प्राधिकारी इस नियम के अधीन अपनी शक्ति अपने से ठीक नीचे के प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है;

(ii) ऐसा कर्मचारी जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित अन्वेषण, जांच या विचारण लंबित है, जो न्यायालय के कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति से जुड़ा है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा/शर्मिंदगी होने की संभावना है या जिसमें नैतिक अधमता शामिल है, उसे नियुक्ति प्राधिकारी या उस प्राधिकारी के विवेक पर, जिसे इन नियमों के अधीन निलंबन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, [1][उस] आरोप से संबंधित सभी कार्यवाहियों की समाप्ति तक निलंबन के अधीन रखा जा सकता है।

(iii) (क) किसी कर्मचारी को निलंबन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी हिरासत की तिथि से निलंबित कर दिया गया माना जाएगा या, यथास्थिति, निलंबित रखा जाना जारी माना जाएगा, यदि वह हिरासत में निरुद्ध किया जाता है, चाहे वह निरूद्धि [2][मूल] आरोप पर हो या अन्यथा, और उसकी अवधि अड़तालीस घंटे से अधिक हो।

(ख) उपरोक्त कर्मचारी, हिरासत से रिहा होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी को अपनी निरूद्धि के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और कल्पित निलंबन के विरुद्ध अभ्यावेदन भी दे सकेगा। सक्षम प्राधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ नियमों में निहित प्रावधानों के आलोक में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, हिरासत से रिहाई की तिथि से कल्पित निलंबन को जारी रखने या उसे रद्द करने या संशोधित करने का उचित आदेश पारित करेगा।

(iv) किसी कर्मचारी को इन नियमों के अधीन निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी दोषसिद्धि की तिथि से, यथास्थिति, निलंबित कर दिया गया माना जाएगा या निलंबित रखा जाना जारी माना जाएगा, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की स्थिति में उसे अड़तालीस घंटे से अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है और ऐसी [3][स्थिति] के परिणामस्वरूप उसे तत्काल बर्खास्त या सेवा से मुक्त नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण- उप-नियम में संदर्भित अड़तालीस घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात कारावास के प्रारंभ होने से की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, यदि कारावास की कोई अंतर्वर्ती अवधियाँ हों, तो उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा।

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2017/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा संशोधित।

[2] यथोक्त

[3] यथोक्त

(v) जहाँ किसी कर्मचारी पर अधिरोपित बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की शास्ति को इन नियमों के अधीन या इन नियमों द्वारा निरसित नियमों के अधीन अपील में रद्द कर दिया जाता है और मामले को आगे की जांच या कार्यवाही के लिए या किसी अन्य निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है;

(क) यदि शास्ति दिए जाने से ठीक पहले वह निलंबन के अधीन था, तो उसके निलंबन का आदेश, उपरोक्त किसी भी निर्देश के अधीन रहते हुए, बर्खास्तगी या हटाए जाने के मूल आदेश की तिथि से प्रभावी माना जाएगा;

(ख) यदि वह निलंबन के अधीन नहीं था, तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उसे बर्खास्तगी या हटाए जाने के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित किया गया माना जाएगा:

परन्तु यह कि इस उप-नियम की किसी भी बात का अर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी की उस शक्ति को प्रभावित करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की शास्ति को इन नियमों के अधीन अपील में उन आरोपों के गुण-दोषों के अलावा अन्य आधारों पर रद्द कर दिया जाता है जिनके आधार पर उक्त शास्ति अधिरोपित की गई थी, और मामले को आगे की जांच या कार्यवाही या किसी अन्य निर्देश के लिए वापस भेज दिया जाता है, तो उन आरोपों पर उसके विरुद्ध आगे की जांच होने के कारण निलंबन का आदेश पारित किया जा सकता है, हालांकि ऐसे किसी भी निलंबन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

(vi) जहाँ किसी कर्मचारी पर अधिरोपित बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की शास्ति को किसी न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप रद्द कर दिया जाता है या शून्य घोषित या प्रभावी कर दिया जाता है, और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, उसके विरुद्ध उन आरोपों पर आगे की जांच करने का निर्णय लेता है जिन पर मूल रूप से बर्खास्तगी या हटाए जाने की शास्ति अधिरोपित की गई थी, चाहे वे आरोप अपने मूल रूप में रहें या उन्हें स्पष्ट किया गया हो या उनके विवरणों को बेहतर ढंग से विनिर्दिष्ट किया गया हो या उनके किसी लघु प्रकृति के भाग को हटा दिया गया हो;

(क) यदि शास्ति दिए जाने से ठीक पहले वह निलंबन के अधीन था, तो उसके निलंबन का आदेश, नियुक्ति प्राधिकारी के किसी भी निर्देश के अधीन रहते हुए, बर्खास्तगी या हटाए जाने के मूल आदेश की तिथि से प्रभावी माना जाएगा;

(ख) यदि वह निलंबन के अधीन नहीं था, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उसे सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा बर्खास्तगी या हटाए जाने के मूल आदेश की तिथि से निलंबित किया गया माना जाएगा।

(vii) जहाँ कोई कर्मचारी निलंबित है या उसे निलंबित माना गया है (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में हो या अन्यथा हो) और उस निलंबन के जारी रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उसे निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अपने द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह निर्देश दे सकता है कि कर्मचारी ऐसी सभी या किसी भी कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबन के अधीन बना रहेगा।

(viii) इस नियम के अधीन आदेशित या आदेशित माना गया अथवा लागू रहा कोई भी निलंबन तब तक प्रभावी बना रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे संशोधित या रद्द नहीं कर दिया जाता।

(ix) इस नियम के अधीन निलंबित किए गए या निलंबित माने गए कर्मचारी, फाइनेंशियल हैंड बुक, खंड II, भाग II से IV के मौलिक नियम 53 के उपबंधों के अनुसार निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे।

(3) निलंबन अवधि का वेतन और भत्ता आदि:-

आपराधिक मामले के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत की गई विभागीय जाँच में आदेश पारित होने के पश्चात, जैसा भी मामला हो, संबंधित कर्मचारी की निलंबन अवधि के वेतन और भत्तों के संबंध में और यह भी कि उक्त अवधि को कर्तव्य/सेवा पर व्यतीत माना जाएगा या नहीं, इसका निर्णय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उक्त कर्मचारी को नोटिस देने और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड II, भाग II से IV के नियम 54 के अधीन एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसका स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात लिया जाएगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी:- सेवा के सदस्य का नियुक्ति प्राधिकारी ही अनुशासनिक प्राधिकारी होगा, जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 23 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकता है:

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या सेवा से नहीं हटाया जाएगा, जिसके द्वारा वास्तव में उसकी नियुक्ति की गई थी।

(5) वृहद शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया:– किसी कर्मचारी पर कोई वृहद शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, निम्नलिखित रीति से एक जांच की जाएगी:-

(i) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या आरोपों की जांच करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(ii) कदाचार को गठित करने वाले तथ्य, जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उन्हें निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में तैयार किया जाएगा जिसे आरोप-पत्र कहा जाएगा।

आरोप-पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित [1][किया जाएगा]।

(iii) विरचित किए गए आरोप इतने सटीक और स्पष्ट होने चाहिए कि आरोपित कर्मचारी को उसके विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत मिल सके। प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्य और उन्हें सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम, मौखिक साक्ष्य के साथ, यदि कोई हों, आरोप-पत्र में उल्लिखित किए जाएंगे।

(iv) आरोपित कर्मचारी से एक विनिर्दिष्ट तिथि पर, जो आरोप-पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों से कम नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से अपने बचाव का लिखित कथन प्रस्तुत करने और यह बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या वह आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी गवाह से प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपने बचाव में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसे यह भी सूचित किया जाएगा कि यदि वह विनिर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित नहीं होता है या लिखित कथन दाखिल नहीं करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है और जांच अधिकारी एकपक्षीय जांच पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा संशोधित।

(v) आरोप-पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और गवाहों की सूची तथा उनके बयानों के साथ, यदि कोई हों, आरोपित कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से या आधिकारिक अभिलेख में दर्ज पते पर पंजीकृत डाक द्वारा तामील कराया जाएगा। यदि आरोप-पत्र उपरोक्त रीति से तामील नहीं किया जा सका, तो आरोप-पत्र व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से तामील कराया जाएगा:

परन्तु यह कि जहाँ दस्तावेजी साक्ष्य बहुत अधिक हों, वहाँ आरोप-पत्र के साथ उसकी प्रति प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित कर्मचारी को जांच अधिकारी के समक्ष उनका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(vi) जहाँ आरोपित कर्मचारी उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार कर लेता है, वहाँ जांच अधिकारी ऐसी स्वीकारोक्ति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(vii) जहाँ आरोपित कर्मचारी आरोपों से इनकार करता है, वहाँ जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित गवाहों को बुलाने की दिशा में आगे बढ़ेगा और आरोपित कर्मचारी की उपस्थिति में उनके [1][मौखिक] साक्ष्य दर्ज करेगा, जिसे ऐसे गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा। उपरोक्त साक्ष्यों को दर्ज करने के पश्चात, जांच अधिकारी उन मौखिक साक्ष्यों को मंगाएगा और दर्ज करेगा जिन्हें आरोपित कर्मचारी अपने लिखित कथन में अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत करना चाहता है:

परन्तु यह कि जांच अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर किसी गवाह को बुलाने से इनकार कर सकता है।

(viii) जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार किसी भी गवाह को साक्ष्य देने के लिए समन कर सकता है या किसी भी व्यक्ति से अपने समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा संशोधित।

(ix) जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से संबंधित तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, किसी भी समय किसी भी गवाह से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जो वह उचित समझे।

(x) जहाँ आरोपित कर्मचारी नोटिस की तामील होने या तिथि का ज्ञान होने के बावजूद जांच के लिए नियत तिथि पर या कार्यवाही के किसी भी चरण में उपस्थित नहीं होता है, वहाँ जांच अधिकारी एकपक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी आरोपित कर्मचारी की अनुपस्थिति में ही आरोप-पत्र में उल्लिखित गवाहों के बयान दर्ज करेगा।

(xi) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो आरोपों के समर्थन में अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए एक अधिकारी या विधिक व्यवसायी नियुक्त कर सकता है, जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में जाना जाएगा।

(xii) आरोपित कर्मचारी अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी भी अधिकारी की सहायता ले सकता है, लेकिन वह इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी को तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी स्वयं एक विधिक व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी अनुमति न दे दे।

परन्तु यह कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:

(क) जहाँ किसी व्यक्ति पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई वृहद शास्ति अधिरोपित की जाती है, जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषसिद्ध किया गया है; या

(ख) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तिसंगत रूप से व्यवहार्य नहीं है; या

(ग) जहाँ उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि, राज्य की सुरक्षा के हित में, इन नियमों में उपबंधित रीति से जांच करना समीचीन नहीं है।

(6) जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना- जब जांच पूरी हो जाए, तो जांच अधिकारी जांच के सभी अभिलेख के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में

तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्षों का विवरण तथा उनके कारणों का उल्लेख होगा। जांच अधिकारी शास्ति के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करेगा।

(7) जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही-

(i) अनुशासनिक प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आरोपित कर्मचारी को सूचित करते हुए मामले को उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को पुन: जांच के लिए वापस भेज सकता है। इसके पश्चात जांच अधिकारी नियम 23(5) के उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित ऐसे चरण से जांच करने की कार्यवाही करेगा।

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी किसी आरोप पर जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, तो वह दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर उस पर अपना निष्कर्ष दर्ज करेगा।

(iii) यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो आरोपित कर्मचारी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाएगा और उसे तदनुसार सूचित किया जाएगा।

(iv) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, सभी या किसी भी आरोप पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, इस मत पर है कि आरोपित कर्मचारी पर नियम 23 (1) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह आरोपित कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति और उप-नियम (ii) के अधीन दर्ज किए गए अपने निष्कर्ष देगा और उससे अपेक्षा करेगा कि यदि वह चाहे तो उचित विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख और आरोपित कर्मचारी के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों के नियम 23 (1) में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करने वाला एक सकारण आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित कर्मचारी को सूचित करेगा।

(8) लघु शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया-

(i) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी [1][प्रक्रिया] अपनाने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो वह उप-नियम [2][(ii)] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 23 (1) में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकता है।

(ii) संबंधित कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सार से [3][अवगत] कराया जाएगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो और सुसंगत अभिलेख पर विचार करने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और जहाँ शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहाँ उसके [4][कारण] दिए जाएंगे। आदेश संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जाएगा।

(9) अपील-

(i) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अलावा अन्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा लघु शास्तियों के नियम 23 (1) (i) और (v) में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश पारित किया गया है, वह नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(ii) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध;

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात जिला न्यायाधीश द्वारा नियम 23 (1) की [5][लघु] शास्तियों के खंड (i) से (v) और वृहद शास्तियों के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश पारित किया गया है; या

(ख) इस उप-नियम के खंड (i) के अधीन दायर अपील में नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जिला न्यायाधीश द्वारा दंड वृद्धि का आदेश दिया गया है, वह उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

---

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा संशोधित।

[2] यथोक्त

[3] यथोक्त

[4] यथोक्त

[5] यथोक्त

(iii) वह अवधि जिसके दौरान अपील दायर की जा सकती है, इस उप-नियम के खंड (i) के अधीन दायर अपील के मामले में 30 दिन होगी और इस उप-नियम के [6][खंड (ii)] के अधीन दायर अपील के मामले में 90 दिन होगी। परिसीमा अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन अपीलार्थी को उस आदेश की सूचना दी जाती है जिसके विरुद्ध अपील की जानी है। जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जानी है, उसकी प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को परिसीमा अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) अपीलीय प्राधिकारी विचार करेगा कि-

(क) क्या वे तथ्य, जिन पर आदेश पारित किया गया था, सिद्ध हो गए हैं;

(ख) क्या सिद्ध हुए तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं; और

(ग) क्या शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है; और विचार करने के पश्चात, अपीलीय प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित करेगा जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत हो।

(v) अपील के प्रत्येक ज्ञापन में वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य, कथन और तर्क शामिल होंगे जिन पर अपीलार्थी अवलम्ब लेता है, इसमें कोई भी अनादरपूर्ण [1][विलोपित] या अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगा।

(vi) जिला न्यायाधीश द्वारा अपील को रोका जा सकता है, यदि-

(क) यह ऐसे मामले में अपील है जिसमें इन नियमों के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकती; या

(ख) यह इन नियमों की किसी आवश्यकता का अनुपालन नहीं करती है; या

(ग) यह समय-बाधित है और अपील के ज्ञापन में देरी का स्पष्टीकरण देने वाला कोई कारण नहीं बताया गया है; या

---

[6] यथोक्त

[1] शासकीय अधिसूचना संख्या 4/2007/448/सात-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा विलोपित/हटाया गया।

(घ) यह पिछली अपील की पुनरावृत्ति है और कोई नए तथ्य या परिस्थितियाँ नहीं बताई गई हैं जो मामले पर पुनर्विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती हों:

परन्तु यह कि जहाँ अपील दायर करने में हुई देरी का कोई कारण अपील के ज्ञापन में बताया गया है, वहाँ जिला न्यायाधीश इसे इस आधार पर नहीं रोकेगा कि बताया गया कारण युक्तिसंगत नहीं है।

(vii) जहाँ कोई अपील रोक ली जाती है, वहाँ अपीलार्थी को उसके कारणों के तथ्यों से अवगत कराया जाएगा;

परन्तु यह कि इन नियमों की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता के कारण रोकी गई अपील को उस तिथि से एक महीने के भीतर पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है जिस दिन अपीलार्थी को अपील रोकने की सूचना दी गई है, और यदि इसे ऐसे रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है जो इन नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, तो इसे नहीं रोका जाएगा।

(viii) जिला न्यायाधीश द्वारा अपील को रोके जाने के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(ix) इस **उप-नियम के खंड (vi)** के अधीन रोकी गई अपीलों की सूची, उन्हें रोकने के कारणों सहित, त्रैमासिक रूप से अपीलीय प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(x) अपीलीय प्राधिकारी जिला न्यायाधीश द्वारा रोकी गई किसी अपील का अभिलेख मंगा सकता है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझे।

(10). शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने से पूर्व अवसर- उप-नियम (9) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी को, यथास्थिति, प्रस्तावित अधिरोपण या वृद्धि के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।

अध्याय - VII

विविध

24- अधिवर्षता आयु -

सेवा के किसी सदस्य की अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति आयु वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सिविल सेवाओं के सदस्यों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

25. लोकहित में सेवानिवृत्ति -

इन नियमों या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो उसे सेवा के किसी भी ऐसे सदस्य को, जिसने कम से कम पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. प्रशिक्षण आदि-

(1) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) सेवा के प्रत्येक सदस्य को ऐसा आवधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) सेवा के प्रत्येक सदस्य को ऐसी परीक्षाएँ या परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे और ऐसी समय-सीमा के भीतर करने होंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

27. अवशिष्ट उपबंध -

(1) सेवा के सभी सदस्य उच्च न्यायालय के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(2) सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में (जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है), जिसमें उनके आचरण, नियंत्रण और अनुशासन से संबंधित मामले भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में समकक्ष पद धारण करने वाले सरकारी सेवक पर तत्समय प्रवृत्त व लागू नियम और आदेश, ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों और अपवादों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, यदि कोई हों, जिन्हें उच्च न्यायालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

परन्तु यह कि वेतन, भत्तों, अवकाश या पेंशन से संबंधित नियमों या आदेशों में संशोधन, परिवर्तन या अपवादों वाले किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा:

(3) यदि किसी विशिष्ट पद के राज्य सरकार के पद के समकक्ष होने के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो मामले का निर्णय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

28. स्थानांतरण- उच्च न्यायालय या तो लोकहित में या प्रशासन के हित में, किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण राज्य के भीतर एक जनपद न्यायालय से दूसरे जनपद न्यायालय में कर सकता है।

परन्तु यह कि यदि कोई कर्मचारी अनुरोध पर स्थानांतरण चाहता है, तो उसे उस श्रेणी की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है।

29. निरसन-

(1) अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकीय स्थापना नियमावली, 1947, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अवर स्थापना नियमावली, 1955, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (शास्ति और अपील) नियमावली, 1976 और सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 का नियम 269 इन नियमों के लागू होने की तिथि से निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावलियों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही या किया हुआ माना गया कार्य, इन नियमों के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा।

अनुसूची-क

[नियम 3(2) देखें]

पदों की श्रेणी (संवर्ग)

क्रम संख्या	पदों की श्रेणी	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल पद	
1	2	3	4	5	6
1-	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 'ख')	70	-	70	15,600-39,100, ग्रेड पे- 5400/- (शासनादेश 18.03.2011 के अनुसार)
2-	प्रशासनिक अधिकारी; (वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी 'ग')	80	-	80	9300-34,800, ग्रेड पे- 4600/- (शासनादेश 22.12.2011 के अनुसार)
3-	प्रधान सहायक (सेंट्रल नाज़िर/रिकॉर्ड कीपर (दीवानी)/आपराधिक/मुंसरिम/मुंसरिम-सह-रीडर, जेएससीसी और अपर जेएससीसी/डी.जे. के रीडर/द्वितीय लिपिक/प्रधान कॉपिस्ट आदि, श्रेणी 'ग'	1319	-	1319	9300-34,800, ग्रेड पे- 4200/- (शासनादेश 13.06.2013 के अनुसार)
4-	वरिष्ठ सहायक (मुंसरिम, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन और	5081 + 17 (5081 पद, जिनमें अमीन ग्रेड-I शामिल हैं + श्रेणी “ग”	-	5081+17 (5081+ श्रेणी "ग" के प्रोटोकॉल अधिकारी के 17 पद)	5200-20,200, ग्रेड पे- 2800/- (शासनादेश

	जूनियर डिवीजन), अपर सिविल न्यायाधीश (सी.डि. और जू.डि.)/ मुंसरिम-सह-रीडर/इन न्यायालयों व जेएससीसी व अपर जेएससीसी के रीडर/उप नाजिर/रिकॉर्ड कीपर (फौजदारी)/वाद लिपिक/डिक्री लेखक/सीएमएम, सीजेएम, जेएम न्यायालयों के लिपिक/लाइब्रेरियन/प्रधान कॉपिस्ट (दीवानी व फौजदारी), आदि, प्रोटोकॉल अधिकारी; श्रेणी 'ग') व प्रशासन ग्रेड-1 श्रेणी "ग")	के प्रोटोकॉल अधिकारी के 17 पद शामिल हैं।)			18.03.2011 के अनुसार)
5-	कनिष्ठ सहायक (अमीन ग्रेड-II श्रेणी 'ग'/कॉपिस्ट (दीवानी एवं पुलिस केस डायरी)/सहायक लेखा लिपिक/अतिरिक्त लिपिक/न्यायालय लिपिक/प्रशासनिक लिपिक/लेखक और	4212+17 (4242 जिसमें प्रशासनिक ग्रेड-II शामिल है) + श्रेणी "ग" के प्रोटोकॉल अधिकारियों के 17 पद शामिल हैं।)	-	4212+17 (4242 जिसमें प्रशासनिक ग्रेड-II शामिल है + श्रेणी “ग” के प्रोटोकॉल अधिकारियों के 17 पद शामिल हैं।)	5200-20,200, ग्रेड पे- 2000/- (शासनादेश 17.02.2012 के अनुसार)

	रनर/टाइपिस्ट आदि, लिपिक-सह-टाइपिस्ट श्रेणी "ग")				
6-	पेड अप्रेंटिस	246	-	246	5200-20200, ग्रेड पे- 1900/- (नियत)
7-	आशुलिपिक ग्रेड-I	22 + 48 जिन्हें निम्न स्केल से 70 पर उन्नत किया जाना है।	70	22 + 48 जिन्हें निम्न स्केल से 70 पर उन्नत किया जाना है।	9300-34,800, ग्रेड पे- 4600/- (शासनादेश 22.12.2011 के अनुसार)
8-	आशुलिपिक ग्रेड-II	675	-	675	9300-34,800, ग्रेड पे- 4200/- (शासनादेश 22.12.2011 के अनुसार)
9-	आशुलिपिक ग्रेड-III	1229	-	1229	5200-20,200, ग्रेड पे- 2800/- (शासनादेश 17.02.2012 के अनुसार)
10-	चालक चालक श्रेणी 'ग' ग्रेड-IV	395	-	395	ग्रेड-IV: 5200-20200, ग्रेड पे- 1900;

	ग्रेड-III				ग्रेड-III: 5200-20200, ग्रेड पे- 2400
	ग्रेड-II				ग्रेड-II: 5200-20200, ग्रेड पे- 2800
	ग्रेड-I				ग्रेड-I: 5200-20200, ग्रेड पे- 4200
	विशेष ग्रेड				विशेष ग्रेड 9300-34800 ग्रेड पे 4600 (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 08 मई, 2013, विभाग चालक सेवा (तृतीय संशोधन)

					नियमावली, 2013 के कार्मिक अनुभाग-1 के अनुसार)
11-	**<u>अधीनस्थ-कर्मचारी</u>** नलकूप ऑपरेटर-सह-इलेक्ट्रीशियन, श्रेणी 'घ'	54		54	5200-20200, ग्रेड पे- 1800/-
12-	दफ्तरी/बंडल लिफ्टर श्रेणी 'घ'	654	-	654	5200-20200, ग्रेड पे- 1800/-
13-	प्रधान माली श्रेणी 'घ'	04	-	04	5200-20200, ग्रेड पे- 1800/-
14-	आदेश वाहक श्रेणी 'घ'	7046	-	7046	5200-20200, ग्रेड पे- 1800
15-	अर्दली/चपरासी/कार्यालय चपरासी/फर्राश श्रेणी 'घ'		-		5200-20200, ग्रेड पे- 1800
16-	चौकीदार/वाटरमैन/स्वीपर/ माली/कुली/भिश्ती/लिफ्टमैन श्रेणी 'घ'		-		5200-20200, ग्रेड पे- 1800
17-	स्वीपर-सह-फर्राश श्रेणी 'घ'	188	-	188	(2000 नियत)

नोट: ये वेतनमान समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन के अधीन हैं।

अनुसूची-'ख'

[नियम 3(3) और 4 देखें]

क्रम संख्या	पदों की श्रेणी	भर्ती की पद्धति	अर्हता आदि
1-	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 'ख') 15600-39100 ग्रेड पे 5400	प्रशासनिक अधिकारी (वरिष्ठ अधीक्षक) से योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	-
2-	प्रशासनिक अधिकारी (वरिष्ठ अधीक्षक, श्रेणी 'ग') 9300-34800 ग्रेड पे 4600	वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर लिपिक संवर्ग के अंतर्गत 9300-34,800 वेतनमान, ग्रेड पे 4200 (4500-7000) वाले प्रधान सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा।	-
3-	प्रधान सहायक (केंद्रीय नाजिर/रिकॉर्ड कीपर (दीवानी/फौजदारी)/मुंसरिम/मुंसरिम-सह-रीडर, जेएससीसी एवं अपर जेएससीसी/जिला न्यायाधीश के रीडर/द्वितीय लिपिक/प्रधान कॉपिस्ट, आदि; श्रेणी "ग"	लिपिक संवर्ग के अंतर्गत 5200-20,200 वेतनमान, ग्रेड पे 2800 वाले वरिष्ठ सहायक के पद से, उक्त वेतनमान में न्यूनतम पांच वर्ष की मौलिक एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर	-

	9300-34,800 ग्रेड पे 4200	पदोन्नति द्वारा।	
4-	वरिष्ठ सहायक (मुंसरिम, सिविल न्यायाधीश (सी.डि. एवं जू.डि.), अपर सिविल जज (सी.डि. एवं जू.डि.)/मुंसरिम-सह-रीडर/इन न्यायालयों एवं जेएससीसी एवं अपर जेएससीसी के रीडर/उप नाजिर/रिकॉर्ड कीपर (फौजदारी)/वाद लिपिक/डिक्री लेखक/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिपिक/लाइब्रेरियन/प्रधान कॉपिस्ट (दीवानी एवं फौजदारी), आदि, प्रोटोकॉल अधिकारी, श्रेणी "ग") एवं अमीन ग्रेड-I श्रेणी "ग") 5200-20,200 ग्रेड पे 2800	लिपिक संवर्ग के अंतर्गत 5,200-20,200 वेतनमान, 2,000 ग्रेड पे वाले कनिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, उक्त वेतनमान में न्यूनतम पाँच वर्ष की मौलिक एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर।	लाइब्रेरियन के लिए शैक्षणिक योग्यता अधिमानतः पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक होगी।
5-	कनिष्ठ सहायक (अमीन ग्रेड-II श्रेणी "ग"/कॉपिस्ट (दीवानी एवं पुलिस केस डायरी)/सहायक लेखा लिपिक/अतिरिक्त लिपिक/न्यायालय	[1][(क) अस्सी प्रतिशत, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर सीधी भर्ती द्वारा। (ख) बीस प्रतिशत, समूह "घ" के कर्मचारियों में से पदोन्नति	उर्दू और हिंदी के विशेष ज्ञान के साथ गणित में इंटरमीडिएट, साथ ही डोएक सोसाइटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र और कंप्यूटर पर हिंदी/अंग्रेजी टंकण के

[1] शासनादेश संख्या 4/2007/448/VII-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा सम्मिलित किया गया।

	लिपिक/प्रशासनिक लिपिक/लेखक एवं रनर/टाइपिस्ट, आदि, लिपिक-सह-टाइपिस्ट श्रेणी "ग") 5200-20,200 ग्रेड पे 2000	द्वारा, अयोग्य को अस्वीकार करने की शर्त के अधीन वरिष्ठता के आधार पर, जिन्होंने हाई स्कूल तक की अर्हता के साथ उक्त श्रेणी में न्यूनतम पाँच वर्ष की मौलिक एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो: परंतु यह कि अमीन ग्रेड-II का पद केवल सीधी भर्ती द्वारा ही भरा जाएगा।]	लिए 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति (शासनादेश संख्या 1595/VII-न्याय-2-2011-68जी/2011, दिनांक 17.02.2012 के अनुसार)। अंकगणित, क्षेत्रमिति, प्रारंभिक भू-सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1908 का आदेश XXVI तथा कनिष्ठ सहायक के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित [2][साधारण नियमावली] (सिविल) के नियम।
6-	पेड अप्रेंटिस 5200-20200 ग्रेड पे 1900 नियत	प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर सीधी भर्ती द्वारा।	डोएक सोसाइटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र तथा कंप्यूटर पर हिंदी/अंग्रेजी टंकण के लिए 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति (शासनादेश संख्या 1595/7-न्याय-2-2011-68जी/2011, दिनांक 17.02.2012 के अनुसार)।
7- 7-क	**आशुलिपिक:** आशुलिपिक ग्रेड-I, जिला एवं	9300-34800 वेतनमान, 4200 ग्रेड पे वाले आशुलिपिकों में से वरिष्ठता-	-

[2] यथोक्त

	सत्र न्यायाधीश के (निजी सहायक), श्रेणी 'ग' ग्रेड-I 9300-34800 ग्रेड पे 4600	सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	
7-ख	जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यकारी सहायक, 9300-34800 ग्रेड पे 4600	9300-34800 वेतनमान, 4200 ग्रेड पे वाले आशुलिपिकों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	
8-	आशुलिपिक ग्रेड-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीशों के (निजी सहायक), श्रेणी 'ग' (रु. 5500-9000) 9300-34800 ग्रेड पे 4200	5200-20200 वेतनमान, 2800 ग्रेड पे वाले आशुलिपिकों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	
9-	आशुलिपिक ग्रेड-III श्रेणी 'ग' 5200-20200 ग्रेड पे 2800	सीधी भर्ती द्वारा, जिसमें जनपद के कम से कम एक-चौथाई पद अंग्रेजी आशुलिपिकों द्वारा भरे जाएंगे।	हिंदी आशुलिपिकों के लिए:- स्नातक के साथ आशुलिपि में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र, जिसमें हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ-साथ डोएक सोसाइटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र और कंप्यूटर पर हिंदी/अंग्रेजी टंकण हेतु 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति

			(शासनादेश संख्या 1595/7-न्याय-2-2011-68जी/2011, दिनांक 17.02.2012 के अनुसार)। अंग्रेजी आशुलिपिकों के लिए:- स्नातक के साथ आशुलिपि में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र, जिसमें अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ-साथ डोएक सोसाइटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र और कंप्यूटर पर हिंदी/अंग्रेजी टंकण हेतु 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति (शासनादेश संख्या 1595/7-न्याय-2-2011-68जी/2011, दिनांक 17.02.2012 के अनुसार)।
10-	**चालक** चालक; श्रेणी 'ग'/ग्रेड-IV (पुराना 3050-4590) 5200-20200 ग्रेड पे 1900	विभिन्न श्रेणियों के सेवा पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:- (i) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 20 प्रतिशत पद, ऐसे	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 2. रिक्ति अधिसूचित होने की तिथि से ठीक पहले का कम से कम 3 वर्ष की अवधि का

		मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनर एवं समूह "घ" के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिनके पास भारी या हल्के वाहन, जैसा भी मामला हो, का कम से कम तीन वर्ष की अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कक्षा VIII की परीक्षा उत्तीर्ण की हो:	चार पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
	ग्रेड-III 5200-20200 ग्रेड पे 2400	मौलिक रूप से नियुक्त ग्रेड-4 के ऐसे चालकों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	
	ग्रेड-II 5200-20200 ग्रेड पे 2800	मौलिक रूप से नियुक्त ग्रेड-3 के ऐसे चालकों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन ग्रेड-3 चालक के पद पर छह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, अथवा भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन	

		तक ग्रेड-4 चालक और ग्रेड-3 चालक के पदों पर कुल मिलाकर पंद्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो।	
	ग्रेड-I 9300-34800 ग्रेड पे 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ग्रेड-2 के ऐसे चालकों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन ग्रेड-2 चालक के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो।	
	चालक (विशेष ग्रेड) 9300-34800 ग्रेड पे 4600	मौलिक रूप से नियुक्त ग्रेड-I के ऐसे चालकों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	
11-	**<u>अधीनस्थ-कर्मचारी</u>** नलकूप ऑपरेटर-सह-इलेक्ट्रीशियन, श्रेणी 'घ' 5200-20200 ग्रेड पे 1800	सीधी भर्ती द्वारा।	(i) जूनियर हाई स्कूल [1](ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या उसके समकक्ष किसी संस्थान से एक वर्ष का प्रमाणपत्र।
12-	दफ्तरी/बंडल लिफ्टर श्रेणी 'घ' 5200-20200 ग्रेड पे 1800	वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जो अनुपयुक्त को अस्वीकार करने के अधीन होगा, ऐसे आदेश	देवनागरी लिपि में हिंदी पढ़ने और लिखने का ज्ञान तथा दफ्तरी के मामले में जिल्दसाजी का ज्ञान।

[1] शासनादेश संख्या 4/2007/448/VII-न्याय-2-2017-176जी-2010, दिनांक 21.06.2017 (उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा सम्मिलित किया गया।

		वाहक, अर्दली, कार्यालय चपरासी और फर्राश के बीच से जिन्होंने इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	
13-	प्रधान माली श्रेणी 'घ' 5200-20200 ग्रेड पे 1800	अनुपयुक्त को अस्वीकार करने के अधीन वरिष्ठता के आधार पर, क्रम संख्या 16 एवं 17 के सम्मुख दर्शाए गए संवर्गों में से पदोन्नति द्वारा।	-
14-	आदेश वाहक 5200-20200 ग्रेड पे 1800 श्रेणी 'घ'	अनुपयुक्त को अस्वीकार करने के अधीन, 50 प्रतिशत आदेश वाहकों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर, निम्न वेतनमान की समूह 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	सीधी भर्ती के लिए आदेश वाहक का हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
15-	अर्दली/चपरासी/कार्यालय चपरासी/फर्राश; श्रेणी 'घ' 5200-20200 ग्रेड पे 1800	सीधी भर्ती द्वारा।	जूनियर हाई स्कूल
16-	चौकीदार/वाटरमैन/स्वीपर/माली/ कुली/भिश्ती/लिफ्टमैन श्रेणी 'घ' 5200-20200 ग्रेड पे 1800	सीधी भर्ती द्वारा।	जूनियर हाई स्कूल

17-	स्वीपर-सह-फर्राश; श्रेणी 'घ' (2000 नियत)	सीधी भर्ती द्वारा।	कक्षा VI

अनुसूची 'ग'

(नियम-10 देखें)

क. लिपिक संवर्ग हेतु पाठ्यक्रम:

1. लिखित परीक्षा में एक लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार भी शामिल होगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे:-

साक्षात्कार	50 अंक
लिखित सरल प्रारूपण (हिंदी में) निबंध और संक्षेपण लेखन (हिंदी में) सरल प्रारूपण और संक्षेपण लेखन (अंग्रेजी में) सामान्य ज्ञान	 50 अंक 50 अंक 50 अंक 50 अंक

ख. आशुलिपिकों हेतु पाठ्यक्रम:

लिपिक संवर्ग के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, आशुलिपिकों के लिए निम्नलिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी:-

अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि अंग्रेजी या हिंदी में टंकण कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी में टंकण	50 अंक 25 अंक 25 अंक

ग. श्रेणी 'घ' हेतु पाठ्यक्रमः

लिखित हिन्दी श्रुतलेख साक्षात्कार	 50 अंक 15 अंक

घ. चालकों हेतु पाठ्यक्रम:

श्रेणी 'घ' के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार एक तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।

ङ. चालकों की पदोन्नति हेतु अनुशंसित परीक्षण:-

ग्रेड-IV से ग्रेड-III में पदोन्नति हेतु:

1. अंग्रेजी अंक और संख्याएँ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।

2. यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

3. खराबी का पता लगाने और छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए।

4. पहिए बदलने और टायरों में सही हवा भरने में सक्षम होना चाहिए।

ग्रेड-III से ग्रेड-II में पदोन्नति हेतु:

1. अंग्रेजी अंक और संख्याएँ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।

2. यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

3. पेट्रोल और डीजल इंजन की कार्यप्रणाली का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और खराबी का पता लगाने तथा छोटी-मोटी कमियों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए।

4. कार्बोरेटर, प्लग आदि को साफ करने में सक्षम होना चाहिए।
